REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 10 | JULY - 2025

# डिजिटल इंडिया और खाद्य सुरक्षाः तकनीक के माध्यम से भूखमुक्त भारत की ओर

डॉ० ममता कुमारी
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
बी० एस० सिटी कॉलेज, बोकारो.

**सारांश :**

भारत में खाद्य सुरक्षा एक दीर्घकालिक सामाजिक चुनौती रही है। विशेषकर निर्धन और ग्रामीण वर्ग में यह समस्या और भी जटिल रही है। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू होने के बाद इसे संवैधानिक अधिकार का रूप मिला, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपात्र लाभार्थियों की मौजूदगी, और वितरण की असमानता जैसी चुनौतियाँ बरकरार रहीं। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2015 में प्रारंभ हुए 'डिजिटल इंडिया' अभियान ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नवीन परिवर्तन की शुरुआत की।

डिजिटल तकनीकों जैसे आधार सीडिंग, e-PoS मशीनें, मोबाइल ऐप, और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, लक्षित और उत्तरदायी बनाया है। इन नवाचारों से लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि, कालाबाजारी की रोकथाम, और पोर्टेबिलिटी जैसे लाभ संभव हुए हैं। कोविड–19 संकट के दौरान इन प्रणालियों की उपयोगिता और टिकाऊपन स्पष्ट रूप से सामने आई।

हालांकि, इन सुधारों के बावजूद डिजिटल साक्षरता, नेटवर्क की कमी, और तकनीकी जटिलताओं के कारण कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनके समाधान हेतु सरकार को डिजिटल प्रशिक्षण, बहुभाषी ऐप्स, और तकनीकी आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, डिजिटल इंडिया ने खाद्य सुरक्षा को तकनीक के माध्यम से नई दिशा दी है। यदि इन प्रयासों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाए तो 'भूखमुक्त भारत' का स्वप्न जल्द ही साकार हो सकता है।

**बीज शब्द :**

डिजिटल इंडिया, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), आधार सीडिंग, e-PoS मशीन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वन नेशन वन राशन कार्ड, पोर्टेबिलिटी, लाभार्थी, पारदर्शिता, डिजिटल साक्षरता, मोबाइल एप, प्रवासी मजदूर, भ्रष्टाचार, भूखमुक्त भारत ।

## प्रस्तावना :

भारत जैसे विकासशील देश के लिए खाद्य सुरक्षा न केवल एक मानवाधिकार है, बल्कि सामाजिक न्याय और विकास की बुनियाद भी है। देश की बड़ी जनसंख्या और असमान सामाजिक–सांस्कृतिक परिदृश्य को

देखते हुए यह सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को पर्याप्त, सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध हो, एक जटिल चुनौती रही है। पारंपरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भ्रष्टाचार, अपात्र लाभार्थियों और वितरण में अनियमितताओं से ग्रस्त रही है। 21वीं सदी में सूचना और संचार तकनीक (ICT) के आगमन के साथ भारत सरकार ने 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं में सुधार लाने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। इस शोध आलेख में हम देखेंगे कि किस प्रकार डिजिटल तकनीकों ने खाद्य सुरक्षा को अधिक पारदर्शी, लक्षित और कुशल बनाया है और यह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

## शोध का उद्देश्य :

1. भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, विशेषकर ग्रामीण और वंचित समुदायों के सन्दर्भ में।
2. 'डिजिटल इंडिया' अभियान के प्रमुख घटकों की पहचान करना, जो खाद्य वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने में सहायक रहे हैं।
3. आधार सीडिंग, म–च्वै, और डिजिटल राशन कार्ड जैसे तकनीकी नवाचारों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों का अध्ययन करना, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों पर।
5. डिजिटल तकनीक के माध्यम से खाद्य वितरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की वृद्धि को समझना।
6. डिजिटल साक्षरता, तकनीकी पहुंच और नेटवर्क समस्याओं जैसी चुनौतियों को चिह्नित करना, जो डिजिटल खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
7. प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता और सीमाओं की तुलना करना, पारंपरिक प्रणाली के संदर्भ में।
8. भविष्य के लिए सुझाव देना, जिससे डिजिटल नवाचारों के माध्यम से 'भूखमुक्त भारत' के लक्ष्य की ओर प्रभावी प्रगति हो सके।

## खाद्य सुरक्षा की संकल्पना और भारत में इसकी स्थिति :

खाद्य सुरक्षा की परिभाषा में तीन प्रमुख तत्व होते हैंः उपलब्धता, पहुँच और उपयोग। इसका तात्पर्य है कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद हो, हर व्यक्ति को उसकी आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के अनुसार वह खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, और वह खाद्य उपयोग के लिए सुरक्षित और पोषणयुक्त हो। भारत में यह एक संवैधानिक अधिकार बना जब वर्ष 2013 में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA) लागू किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को रियायती दर पर अनाज देने की व्यवस्था की गई। लेकिन यह प्रणाली हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से असफल साबित होती रही है। अपात्र लाभार्थियों की उपस्थिति, राशन की चोरी, वितरण में गड़बड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की सही पहचान जैसी समस्याएँ बनी रहीं। यही वे स्थितियाँ थीं जहाँ डिजिटल तकनीक एक क्रांतिकारी साधन के रूप में सामने आई। डिजिटल पंजीकरण, आधार सीडिंग, ऑनलाइन शिकायत तंत्र जैसी विधियों ने प्रणाली में सुधार की आधारशिला रखी।[1]

## डिजिटल इंडिया अभियान और उसका प्रभाव :

भारत सरकार ने जुलाई 2015 में 'डिजिटल इंडिया' अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सेवाओं को हर नागरिक तक पहुँचना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना। इस अभियान के तीन प्रमुख उद्देश्य थेः डिजिटल संरचना का निर्माण, सेवाओं की डिलीवरी में सुधार और नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिला। राशन वितरण केंद्रों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया, लाभार्थियों का डेटा ऑनलाइन संधारित किया गया और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 'डायरेक्ट

बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT), आधार आधारित पहचान और मोबाइल एप्स की शुरुआत ने लाभार्थियों की पहचान और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी बनाया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से यह प्रणाली सुदृढ़ हुई। इन नवाचारों के माध्यम से प्रशासनिक भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी आई और जरूरतमंद लोगों तक समय पर राशन पहुँचना संभव हुआ।[2]

## तकनीकी नवाचार और खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार :

डिजिटल तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्यापक सुधार हुए हैं।

1. आधार सीडिंग और राशन कार्ड डिजिटलीकरणः आधार कार्ड से लाभार्थियों के राशन कार्ड को जोड़ने से फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड की पहचान करना आसान हुआ। इससे सरकारी खर्च की बचत के साथ–साथ वास्तविक पात्रों तक सुविधा सुनिश्चित हुई। कई राज्यों में यह प्रक्रिया 90: से अधिक लाभार्थियों तक पहुँच चुकी है।[3]
2. e-PoS मशीनों की भूमिकाः ई–पॉइंट ऑफ सेल मशीनें राशन वितरण में लाभार्थियों की आधार सत्यापन के माध्यम से पहचान करती हैं, जिससे गड़बड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। यह मशीनें वितरण के समय लाभार्थी की उपस्थिति को सत्यापित करती हैं और रीयल–टाइम डेटा उपलब्ध कराती हैं। इससे राशन दुकानों पर अनाज की कालाबाजारी रुकी है।[4]
3. ONORC योजनाः 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य में रहने वाला लाभार्थी अपने मूल राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी पीडीएस दुकान से अनाज प्राप्त कर सकता है। इससे प्रवासी मजदूरों, विशेषकर कोविड–19 काल के दौरान, को अत्यधिक राहत मिली। यह योजना 'पोर्टेबिलिटी' का उत्कृष्ट उदाहरण है।[5]
4. मोबाइल एप आधारित निगरानीः 'मेरा राशन', 'अनाज' और अन्य राज्य स्तरीय मोबाइल एप्स ने लाभार्थियों को अपनी पात्रता, वितरण की तिथि, स्थान परिवर्तन और शिकायत दर्ज करने जैसी सुविधाएँ दी हैं। इससे पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है।

## चुनौतियाँ एवं समाधान

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाया है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव, बुजुर्ग और अशिक्षित लोगों की तकनीकी तक पहुंच जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। कई बार म–च्वै मशीनें तकनीकी कारणों से काम नहीं करतीं, जिससे लाभार्थियों को राशन मिलने में बाधा आती है। इसके अलावा, लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान में त्रुटियाँ भी सामने आती हैं, विशेष रूप से वृद्ध और श्रमिक वर्ग में। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को ग्राम स्तर पर डिजिटल सहायकों की नियुक्ति करनी चाहिए, जो तकनीकी सहायता दें। इसके साथ ही बहुभाषी और सहज मोबाइल एप्स को बढ़ावा देना, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना अनिवार्य होगा। यदि यह प्रयास निरंतर और समर्पणपूर्वक किए जाएँ, तो डिजिटल तकनीक वास्तव में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है।

## निष्कर्ष :

डिजिटल इंडिया अभियान ने भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दी है। अब यह प्रणाली अधिक पारदर्शी, लक्षित और प्रतिक्रियाशील हो गई है। आधार, e-PoS, मोबाइल एप्स, और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे नवाचारों ने न केवल भ्रष्टाचार को घटाया है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुँचना सुनिश्चित किया है। कोविड–19 संकट जैसे समय में भी यह प्रणाली टिकाऊ साबित हुई, जहाँ लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके नए स्थान पर राशन की सुविधा मिली। अब आवश्यकता है कि इन तकनीकों को और अधिक समावेशी और जन–सुलभ बनाया जाए। यदि डिजिटल पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जाए

और प्रणाली को समय–समय पर अपडेट किया जाए, तो 'भूखमुक्त भारत' का सपना निश्चित रूप से साकार हो सकता है।

## संदर्भ सूची :


1. भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, नई दिल्ली : भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 4–9
2. डिजिटल इंडिया पोर्टल, Digital India Initiatives, Ministry of Electronics and Information Technology, 2022, www-digitalindia-gov-in, पृ. 11–13
3. झा, रमेश कुमार, ई–गवर्नेंस और सामाजिक न्याय, दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2, 2021, पृ. 88–92
4. कुमार, अजय, सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण भारत, दिल्लीः सस्ता साहित्य मंडल, संस्करण 1, 2020, पृ. 101–107
5. नीति आयोग, Sustainable Development Goals : India Progress Report 2023, नई दिल्लीः नीति आयोग, पृ. 42–45